न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 13/15/अपील

गोविन्दराम पुत्र स्व. चतराराम आयु 50 वर्ष जाति जाट निवासी जीवणपुरा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 86 दिनांक 07.04.2015 बतस्दीक ग्राम पंचायत, सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक—30.10.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 802, 896, 801, 897 किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 में से 1/16 मि. यानि संपूर्ण से 0.0818 है0 की रिलीज डीड अपीलांट के पक्ष में खातेदार श्योकरण के द्वारा अपीलांट के पक्ष में की गयी व भूमि खसरा नं. 989 ता 994, 996, 1015, 988 किता 9 कुल रकबा 7.72 है0 में से 1/16 यानि संपूर्ण रकबे में से 0.4825 है0 भूमि रिलीज डीड खातेदार श्योकरण द्वारा अपीलांट के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय, दांतारामगढ तहरीर तकमील कर दी गयी। हल्का पटवारी के द्वारा हक त्याग पत्र दिनांक 29.8.2014 के पैरा सं. 4 में दर्ज खसरा नंबर 802, 896, 801, 897 किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 में दर्ज होने के बावजूद ना. करण सं. 86 दर्ज न कर अधूरा ना.करण भरा गया तथा उसी समय प्रार्थी/अपीलांट के पिता का नाम गलती से हक त्याग कर्ता के पिता का नाम दर्ज हो गया था जिसका शुद्धि पत्र दिनांक 29.12.2014 तहरीर तकमील कर दिनांक 30.12.2014 को उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ के यहां प्रस्तुत करने पर बाद तस्दीक शुद्धि पत्र अपीलांट को प्राप्त होने पर दिनांक 05.01.2015 को हल्का पटवारी को उक्त शुद्धि पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गयी थी इसके बावजूद भी हल्का पटवारी ने शुद्धि पत्र की प्रति ना.करण जिल्द के साथ संलग्न नहीं की गई। हक त्याग पत्र के पैरा सं. 6 में दर्ज सजरा खानदान में भी रिलीज गृहिता के पिता का नाम चतरा राम ही अंकित है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

इसके बावजूद भी रेस्पो. सं. 1 ने बिना हक त्याग पत्र की जांच किये ही रेस्पो. सं. 2 के द्वारा पेश ना0करण सं. 86 को निरस्त कर दिया जो आदेश विधि द्वारा निरस्त होने योग्य है। दिनांक 07.04.2015 को ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर उक्त शुद्धि पत्र की प्रति फिर से ग्राम पंचायत में पेश की गयी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा रिलीज गृहिता के पिता का नाम की त्रुटि का कारण बताते हुए राजनैतिक प्रभाव के तहत गलत रूप से ना.करण निरस्त किया जो आदेश विधि विरूद्ध व निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त ना.करण की जानकारी दिनांक 08.07.2015 को ना.करण सं. 86 की नकल प्राप्त करने पर हुई, इसलिए उक्त ना.करण की अपील पेश करना आवश्यक हुआ। अपील अंदर मियाद जानकारी नकल पीएस 35 कमांक 231 दिनांक 08.07.2015 से पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ना.करण सं. 86 दिनांक 07.04.2015 में अवैधानिक आदेश को निरस्त करते हुए अपील तहसीलदार, दांतारामगढ को प्रेषित कर निर्देश दिये जावें कि हक त्याग पत्र व शुद्धि पत्र के अनुसार ना.करण कार्यवाही कर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस वकील अपीलांट की एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात 802, 896, 801, 897 किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 में से 1/16 यानि संपूर्ण में से 0.0818 है0 एवं भूमि खसरा नं. 989 ता 994, 996, 1015, 988 किता 9 कुल रकबा 7.72 है0 में से 1/16 यानि संपूर्ण रकबे में से 0.4825 है0 भूमि खातेदार श्योकरण द्वारा अपीलांट के पक्ष में रिलीज डीड की गई। हल्का पटवारी द्वारा हक त्याग पत्र दिनांक 29.8.2014 के पैरा सं. 4 में दर्ज खसरा नंबर 802, 896, 801, 897 किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 में दर्ज होने के बावजूद ना.करण सं. 86 दर्ज न कर अधूरा ना.करण भरा गया तथा उसी समय प्रार्थी/अपीलांट के पिता का नाम गलती से हक त्याग कर्ता के पिता का नाम दर्ज हो गया था जिसका शुद्धि पत्र दिनांक 29.12.2014 तहरीर तकमील कर दिनांक 30.12.2014 को उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ के यहां प्रस्तुत करने पर बाद तस्दीक शुद्धि पत्र अपीलांट को प्राप्त होने पर दिनांक 05.01.2015 को हल्का पटवारी को उक्त शुद्धि पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गयी थी इसके बावजूद भी हल्का पटवारी ने शुद्धि पत्र की प्रति ना.करण जिल्द के साथ संलग्न नहीं की गई। हक त्याग पत्र के पैरा सं. 6 में दर्ज सजरा खानदान में भी रिलीज गृहिता के पिता का नाम चतरा राम ही अंकित है इसके बावजूद भी रेस्पो. सं. 1 ने बिना हक त्याग पत्र की जांच किये ही रेस्पो. सं. 2 के द्वारा पेश ना0करण सं. 86 को निरस्त कर दिया जो

उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

आदेश विधि द्वारा निरस्त होने योग्य है। दिनांक 07.04.2015 को ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर उक्त शुद्धि पत्र की प्रति फिर से ग्राम पंचायत में पेश की गयी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा रिलीज गृहिता के पिता का नाम की त्रुटि का कारण बताते हुए गलत रूप से ना.करण निरस्त किया गया।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 86 दिनांक 07.04.2015 बतस्दीक ग्राम पंचाचत, सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ना.करण सं. 86 दिनांक 07.04.2015 बतस्दीक ग्राम पंचाायत, सुरेरा निरस्त किया जाता है एंव अपील तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट के हक त्याग पत्र व शुद्धि पत्र के अनुसार ना.करण कार्यवाही कर अपीलांट के नाम ना.करण भरवाकर पुनः तस्दीक किया जावे। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ